निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /DMO-1 28/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अ धकारी, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, पौडी के माह 04/2014 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.01.18 से 18.01.18 तक श्री **नवीन चन्द्र शंखधर** लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **भीम सेन संह** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 13.08.2014 से 20.08.2014 तक श्री **सुनील काला** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2009 से 03/2014 तक एवं व्यय हेतु माह – से – तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। **वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2017 तक के लेखाअ भलेखों की जांच की गयी।**

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: – **सम्पूर्ण पौडी जनपद**

3. (ii)(अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	1665.55
2015-16	1813.14
2016-17	1699.11

(ii)(ब) बजट का विवरण:-

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
		लागू नही						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन नहीं होता है। गैर राजस्व प्राप्ति को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---A---श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव-अपर स चव निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक- उपनिदेशक- खान अ धकारी- खान निरीक्षक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला खान अ धकारी, पौडी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अ धकारी, पौडी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 10/2015, 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 अ

प्रस्तर:01 वभागीय श थलता के परिणामस्वरूप राजस्व हानि 43.77 लाख।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1917/VII-1/130-ख/2013 दिनाँक 23 सतम्बर 2013 द्वारा जनपद के स्थायी निवा सयों को एक व्यक्ति एक पट्टा के सद्धांत पर 05 हे॰ से कम क्षेत्रफल हेतु पट्टे का आवंटन कये जाने का प्रावधान कया गया था। उक्त शासनादेश की शर्तो के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत व भन्न दस्तावेजों में निम्न दस्तावेज़ भी बन्धक कराये जाने थे:

(i) प्रतिभूति धनरा श: प्रथम दो कस्तें जिला धकारी के पक्ष में बन्धक जिनका समायोजन अंतिम दो माह में कया जायेगा।

शासनादेश के बिन्दु 9(iv)(चार) के अनुसार जमा मा सक अ ग्रम कश्त के सापेक्ष ही मा सक खनिजो की मात्रा के परिवहन हेतु प्रपत्र एम॰ एम॰-11 जारी कया जायेगा। यदि सफल नि वदाकार निर्धारित दिनाँक से पूर्व एम॰ एम॰-11 प्राप्त करना चाहता है तो आगामी भुगतान की कश्त जमा कर एम॰ एम॰-11 प्राप्त कर सकता है।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, पौड़ी में नि वदा द्वारा आवंटित उप-खनिज पट्टों से संबन्धित पत्राव लयों की जाँच में पाया गया क ग्राम-फ़तेहपुर रेती, खसरा सं॰-01, रकबा 3.127 हे॰ राजस्व भू म पर खनन पट्टा दिये जाने के लए उपरोक्त शर्तों को सम्मि लत कर नि वदा का प्रकाशन कया गया। उक्त पर सर्वा धक नि वदा वा र्षक पट्टा धनरा श 1,96,95,520/- श्री नवल चन्द्र नैथानी पुत्र वमल चंद्र नैथानी, निवासी-नैथानी भवन, लोअर बाजार, पौड़ी द्वारा प्राप्त होने पर नि वदाकार के पक्ष में पट्टा आवंटित कर दिया गया था। पट्टाधारक द्वारा प्रथम मा सक कश्त 21,88,392/- दिनाँक 21.01.2014 को जमा कर दिनाँक 23.03.2014 को पट्टा वलेख निष्पादित कराया गया था।

आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया क पट्टाधारक द्वारा नियमानुसार प्रतिभूति रा श के रूप में दो कश्तों के समतुल्य रा श 43,76,784/- जमा नहीं करायी की गयी थी परन्तु, वभाग द्वारा पट्टा वलेख निष्पादित कर दिया गया था। जाँच में पाया गया क बिना अ ग्रम कश्त जमा कये ही खनन के परिवहन हेतु एम॰एम॰-11 दिनाँक 21.03.14 को 04 रवन्ना बुक, 09.05.2014 को 06 रवन्ना बुक तथा दिनाँक 31.05.2014 को 02 रवन्ना बुक निर्गत कया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा माह 03/2014, 04/2014 एवं 05/2014 की कश्त कुल 65,65,176/- जमा नहीं कया गया था परन्तु वभाग द्वारा बिना अ ग्रम कश्त जमा कराये ही एम॰एम॰-11 निर्गत कर दिया गया था। आगे पाया गया क वभाग ने

पट्टेधारक द्वारा जमा प्रथम कश्त का समायोजन करते हुये पट्टा निरस्त कर दिया था परन्तु अवशेष रा श 43,76,784/- (65,65,176 - 21,88,392) के राजस्व की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में कहा क प्रकरण की जाँच कर कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क पट्टाधारक से नियमानुसार प्रतिभूति रा श 43,76,784/- जमा कराये जाने अथवा एम॰एम॰-11 निर्गत करने से पूर्व अ ग्रम कश्त जमा कराये जाने की दशा में अवशेष रा श का समायोजन कर राजस्व क्षति से बचा जा सकता था।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 अ

प्रस्तर-:02 आवेदन शुल्क कम जमा कया जाना 39.00 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-1 की अ धसूचना सं॰ 96/VII-1/2016/158-ख/2004 दिनाँक 22.01.2016 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशो धत, 2015 में अतिरिक्त प्रावधान कये गये। संशो धत नियमावली के नियम-(2)(1)(ट) के बिन्दु-2 के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर) मध्य पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है । नियम-8(2) के बिन्दु-2 के अनुसार मध्य पर्वतीय क्षेत्र में खनिज भंडारण हेतु 1000 घन मी॰ तक आवेदन शुल्क 0.50 लाख तथा उससे अ धक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घन मी॰ या उसके भाग पर अतिरिक्त 0.50 लाख आवेदन शुल्क लये जाने का प्रावधान कया गया था।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, पौड़ी में उप-खनिज भंडारण से संबन्धित पत्राव लयों की नमूना जाँच में पाया गया क शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं॰ 216/VII-1/81-भंडारण/2015, दिनाँक 11.02.2016 द्वारा उक्त व र्णत शासनादेश के अधीन श्री प्रदीप तिवाड़ी पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवाड़ी, निवासी ग्राम- भक्तियाना तहसील-श्रीनगर को ग्राम धौना लग्गा उफल्डा, पट्टी इडवालस्यु, पौड़ी गढ़वाल में 2.35 हे॰ नाप भू म में एक समय में 80,000 घनमीटर उप-खनिज के भंडारण हेतु दो वर्षों की अव ध के लए अनुमति प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात जिला धकारी द्वारा अपने आदेश सं॰ 1453/30-खनन(2015-16) दिनाँक 15.02.2016 को शासन की स्वीकृति का उल्लेख करते हुये पुनः अपने आदेश में भी स्पष्ट कया गया क उक्त भंडारण हेतु शासनादेश सं॰ 96/VII-1/2016/158-ख/2004 दिनाँक 22.01.2016 के प्रा वधानानुसार दो वर्ष की अव ध हेतु अनुज्ञप्ति-पत्र स्वीकृत कया गया है। आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया क आवेदक श्री प्रदीप तिवाड़ी द्वारा उक्त भंडारण हेतु आवेदन शुल्क 1.00 लाख दिनाँक 10.09.2015 को चालान के माध्यम से जमा कये गये थे। वभाग द्वारा उक्त भंडारण की अनुमति दिनाँक 11.02.2016 को उक्त व र्णत शासनादेश सं॰ 96/VII-1/2016/158-ख/2004 दिनाँक 22.01.2016 के अधीन दी गयी थी जिसके अनुसार 80000 घन मीटर उप-खनिज के भंडारण हेतु निम्न प्रकार आवेदन शुल्क जमा कराया जाना था:

80000 घन मी॰ **x** 0.50 लाख/1000 घन मी॰ = 40.00 लाख

चूं क आवेदक द्वारा पूर्व में आवेदन शुल्क रु 1.00 लाख जमा कये जा चुका था, अतः अवशेष 39.00 लाख अतिरिक्त जमा कराये जाने थे जो क नहीं कराये गये थे परन्तु, वभाग द्वारा भंडारण की स्वीकृति दे दी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया क संबन्धित भंडारण संचालक को नोटिस भेजकर तथा उनका पक्ष जानकर की गयी कार्यवाही से शीघ्र अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 अ

प्रस्तर-03 :नियमानुसार रॉयल्टी की धनरा श का आंकलन न करने से राजस्व क्षति _ 18.20 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप (शासनादेश) सं॰ 1917/VII-1/130-ख/2013 दिनाँक 23.09.2013 द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त क्षेत्रों को मा॰ सर्वोच्च न्यायालय एवं मा॰ उच्च न्यायालयों द्वारा पारित व भन्न निर्णयों के क्रम में खनिज के लाटों का निष्पक्ष रूप से आवंटन नि वदा के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान कया गया था।

आगे, उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप (शासनादेश) सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 दिनाँक 31.07.2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उप-खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु 3(2) के अनुसार जिला पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर) मध्य पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है एवं उप-खनिज की रॉयल्टी दर तत्तसमय निर्धारित रॉयल्टी दर की 75% थी। बिन्दु-3 के अंतर्गत ही निजी पट्टाधारकों पर रिवर ट्रेनिंग रॉयल्टी का 15% एवं वकास शुल्क रॉयल्टी का 10% अतिरिक्त रूप से लए जाने का प्रावधान था। इस नीति के बिन्दु- 3(2) के अनुसार मध्य पर्वतीय जनपदों में नदी खनन क्षेत्रों मे उपखनिज की मात्रा का आंकलन निम्न फोर्मूले के आधार पर कया जाना है:

खनिज की मात्रा (टन में)= खनन क्षेत्रफल **x 1.00** मी॰ गहराई **x 2.2** बल्क डैन्सिटि

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास वभाग की अ धसूचना सं॰ 1207/VII-1/24-ख/2007 दिनाँक 07.08.2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001 के नियम 21 की प्रथम अनुसूची का संशोधन करते हुये बिन्दु-8 के अनुसार वहित प्रयोजनों के लये प्रयुक्त होने वाली बालू से भन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मली जुली अवस्था में हो के लये रॉयल्टी की दर 200/घन मी॰ निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, पौड़ी के लेखा भलेखों की जाँच में नि वदा/लाटरी द्वारा आवंटित उप-खनिज के राजस्व पट्टों से संबन्धित पत्राव लयों की नमूना जाँच में पाया गया क पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त ग्राम-भलगाँव, तहसील-श्रीनगर में स्थित उप-खनिज लॉट खसरा सं॰-01 म॰ रकवा 4.100 हे॰ क्षेत्रफल का आवंटन श्री प्रदीप तिवाड़ी पुत्र श्री रमेशचन्द्र तिवाड़ी, निवासी-भक्तियाना, श्रीनगर गढ़वाल को उच्चतम नि वदा के आधार पर बालू, बजरी व बोल्डर के चुगान हेतु उक्त शासनादेशों के अधीन कया गया था। खनन पट्टे का वलेख दिनाँक 09.10.2015 को निष्पादित कया गया जिसकी अव ध पट्टा वलेख की ति थ से 30 सतम्बर 2016 तक थी। लेखापरीक्षा में पाया गया क खनन क्षेत्र का मूल्याँकन 4.100 हे॰

क्षेत्रफल पर उप-खनिज की मात्रा 41000 घन मी॰ के अनुसार 57,65,625/- प्रतिवर्ष निर्धारित कया गया था एवं जिसपर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क भी लया गया था । आगे जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

(i) जाँच में पाया गया क Environment Impact Assessment Authority (EIAA) द्वारा उक्त खसरा सं॰ हेतु अपने पत्र सं॰ 5391(213)/2013 दिनाँक 19.08.2014 द्वारा प्रदत्त environment clearance में उप-खनिज चुगान का अ धकतम permissible volume 67500 टन/वर्ष अर्थात 67500/2.2=30682 घन मी॰/वर्ष ही निर्धारित कया था जब क पट्टा वलेख में पट्टाधारक को 41000 घन मी॰ उप-खनिज के चुगान की अनुमति दी गयी। परन्तु, पट्टा क्षेत्र का मूल्याँकन 67500 टन/वर्ष के अनुसार ही कया गया जो क नियमानुसार गणना करने पर ((30682x(220x75% +25% रिवर ट्रेनिंग व वकास शुल्क))= 5752875.00 है।

परन्तु, आगे जाँच में पाया गया क पट्टा वलेख में रॉयल्टी की धनरा श 57,65,625/- प्रतिवर्ष 41000 घन मी॰ उप-खनिज की निकासी हेतु निर्धारित की गयी जब क रॉयल्टी का निर्धारण नियमानुसार निम्न प्रकार कया जाना था:

खनिज की मात्रा (घन मी॰) = (4.100 हे॰x10000)वर्ग मी॰x1 मी॰ गहराई = 41000 घन मी॰

रॉयल्टी की धनरा श = 41000x(200x75% +25% रिवर ट्रेनिंग व वकास शुल्क) = 76**,87,500.00**

अतः इस प्रकार पट्टा धनरा श 19,21,875/- (76,87,500 - 57,65,625) का कम आंकलन कया गया।

आगे पत्रावली की जाँच में यह भी पाया गया क EIAA द्वारा प्रदत्त environment clearance के अनुसार 67,500 टन/वर्ष अर्थात 30682 घन मी॰/वर्ष उपखनिज का ही चुगान कया जा सकता था जब क वभाग द्वारा 41000 घन मी॰ के चुगान हेतु पट्टा वलेख निष्पादित कराया गया एवं जिसके सापेक्ष पट्टाधारक द्वारा 40461 घन मी॰ उप-खनिज की निकासी भी की गयी थी, परन्तु रॉयल्टी मात्र 30682 घन मी॰ उप-खनिज की ही जमा की गयी। नियमानुसार पट्टाधारक द्वारा उप-खनिज 40461 घन मी॰ की निकासी कये जाने पर रॉयल्टी 75**,86,438/-** ((40461 **x (200x75%+25%** रिवर ट्रेनिंग व वकास शुल्क) जमा कराई जानी थी जब क 57,65,625/- ही रॉयल्टी जमा करायी गयी। अतः इस प्रकार 18**,20,813/-** रॉयल्टी की धनरा श कम जमा कराई गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया क प्रकरण की जाँच कर कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः राजस्व क्षति 18,20,813/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 01 : वनिय मतिकरण व नवीनीकरण शुल्क की धनरा श 3.50 लाख जमा न कया जाना ।

उत्तराखंड शासन औद्यो गक वकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनाँक 19.11.2016 के द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड स्टोन क्रैशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रैशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मक्स प्लान्ट, रेडी मक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के बिन्दु 2(छ) के अनुसार जिला पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर) पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है । उपरोक्त नीति के बिन्दु 9 के अनुसार पूर्व से स्था पत/संचा लत स्टोन क्रैशर स्वा मयों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांट की क्षमता (टन/घण्टा के अनुसार) घो षत कया जाना था। घो षत प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट का वनिय मतिकरण जिला धकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा कया जाना था। वनियमतिकरण शुल्क की गणना घो षत क्षमता के आधार पर नीति के अध्याय-II के अनुसार कया जाना था। अध्याय-II के अनुसार आवेदन शुल्क की रा श में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनरा श का 50 प्रतिशत धनरा श निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना था। नीति की घोषणा के एक माह बाद ई प्रपत्र जे केवल वनिय मत प्लान्ट को ही जारी कया जाना था।

अध्याय-II के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में स्टोन क्रैशर प्लान्ट हेतु आवेदन शुल्क की धनरा श 5.00 लाख (क्षमता 100 टन/घण्टा तक) निश्चित की गयी थी। अध्याय-III के अनुसार स्टोन क्रैशर का नवीनीकरण वा र्षक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत था। अध्याय-IV के बिन्दु-4 के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्लान्ट के संचालन हेतु पंजीकरण का नवीनीकरण निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म से कराया जाना आवश्यक था। आगे, अध्याय-I के बिन्दु 5(ड) के अनुसार स्टोन क्रैशर स्वामी द्वारा वा र्षक शुल्क जमा न कराये जाने की दशा में तैयार माल के परिवहन हेतु संबन्धित जनपद के खान अ धकारी द्वारा ई-प्रपत्र जे जारी नहीं कया जायेगा।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, पौड़ी के क्षेत्रा धकार में स्टोन क्रैशर की पत्रवा लयों की नमूना जाँच में पाया गया क शासन के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1139/VII-1/36-स्टोन क्रैशर/2015, दिनाँक 31.07.2015 द्वारा श्री प्रदीप तिवाड़ी पुत्र श्री रमेश चंद्र तिवाड़ी, निवासी ग्राम- भक्तियाना तहसील-श्रीनगर को ग्राम धौना लग्गा उफल्डा, पट्टी इडवालस्यु, पौड़ी गढ़वाल में 200 टन प्रतिदिन क्षमता का स्टोन क्रैशर स्थापना/संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी। उक्त स्टोन क्रैशर स्थापना हेतु आवेदन शुल्क 50000/- चालान के माध्यम से जमा कया गया था।

परन्तु, आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया क स्टोन क्रैशर संचालक द्वारा वनिय मतिकरण शुल्क 2.25 लाख (5.00 लाख - 0.50 लाख का 50%) एवं वा र्षक नवीनीकरण शुल्क 1.25 लाख (5.00 लाख का 25%), कुल 3.50 लाख जमा नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया क स्टोन क्रैशर संचालक से वनिय मतिकरण करवाने की कार्यवाही हेतु नोटिस दिया जायेगा।

अतः स्टोन क्रैशर संचालकों द्वारा नियमानुसार वनिय मतिकरण शुल्क 225000/- व वा र्षक नवीनीकरण शुल्क 125000/- (कुल 3,50,000/-) जमा न कराये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
शून्य		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला खान अ धकारी, पौडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री दिनेश कुमार	उपनिदेशक/भू-वैज्ञानिक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला खान अ धकारी, पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र